राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1272, 1273 व 1274/2018.....जिला – टोंक.....

उनवान : मैसर्स आर. टी. इण्डस्ट्रीज, टोंक बनाम 1.अपीलीय प्राधिकारी, अजमेर 2.वाणिज्यिक कर अधिकारी, टोंक.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

06.12.2018

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त तीनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 54, 5 व 56/2018–19/स्टे/टोंक में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधियिम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.9.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–टोंक (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 26, 55, 61 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 31.7.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक स्थगन प्रदान करते हुए, कर व ब्याज की मांग को वसूलनीय अवधारित किया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रकरणों में बकाया मांग (कर व ब्याज) के स्थगन हेतु ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

अपील संख्या	अवधि	आरोपित			चाहा गया स्थगन
		कर	ब्याज	शास्ति	
1	2	3	4	5	6
1272/18	2013–14	1,60,822	93,280	3,21,644	**2,38,000**
1273/18	2014–15	13,14,998	6,04,900	26,29,996	**17,88,398**
1273/18	2015–16	62,78,023	21,34,530	1,25,15,978	**77,84,751**

उक्त प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी फर्म की आयकर विभाग की जांच में पाया गया कि व्यवहारी द्वारा कच्ची पर्चियों के जरिये माल का क्रय–विक्रय किया गया है जिसका लेखा–पुस्तकों से सत्यापन नहीं हुआ है। आयकर विभाग से प्राप्त उक्त रिपोर्ट के आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग की टीम द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की फर्म का दिनांक 27.6.2018 को सर्वे किया गया, जिसमें अनियमित तरीके से माल का खरीद–बेचान किया जाना पाया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.7.2018 को पारित करते हुए उपरोक्तानुसार मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी, साथ ही सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु भी वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1272, 1273 व 1274/2018.....जिला – टोंक.....

उनवान : मैसर्स आर. टी. इण्डस्ट्रीज, टोंक बनाम 1.अपीलीय प्राधिकारी, अजमेर 2.वाणिज्यिक कर अधिकारी, टोंक.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.12.2018	किये गये। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.9.2018 से धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक स्थगन प्रदान करते हुए, कर व ब्याज की राशि को वसूली योग्य बताया। अतः कर व ब्याज की अवशेष राशि के स्थगन हेतु ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा ने कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्व सम्पूर्ण कार्यवाही आयकर विभाग की अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर की गई है तथा विभाग द्वारा स्वतंत्र जांच नहीं की गई है। विभाग ने आयकर विभाग द्वारा प्रेषित दस्तावेजों को लूज पेपर मानते हुए उन्हें विक्रय से संबंधित दस्तावेज मानते हुए उचन्ति बिक्री का प्रकरण मानकर करारोपण आदि किया है। दस्तावेजों में अंकित विवरण को उचन्ति बिक्री को प्रमाणित करने का दायित्व विभाग का था जैसा कि (2014) 76 वीएसटी 262, सीटीओ भिवाडी बनाम मै0 बेरिवाल कास्टिंग इण्ड. लि. में निर्धारित किया है। अपने इस कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। इन्होंने अपने समर्थन में वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी बनाम मै0 केसरी स्टील्स लि0 6 टीयूडी 241, मेहता एण्ड संस बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी उदयपुर 85 एसटीसी 59, (2002) 1 आरटीआर 40, 19 टीयूडी 277, 107 एसटीसी 380, 34 एसटीसी 195, 33 एसटीसी 573, 95 एसटीसी 447, (2001) 121 एसटीसी 1, मै0 पीसी इत्तीमैथ्यू एण्ड संस बनाम डिप्टी कमिशनर, (2014) 76 वीएसटी 262, (1995) 96 एसटीसी 303, 107 एसटीसी 103, 10 एसटीए 20, 11 एसटीए 43, 4 टीयूडी 312, 5 टीयूडी 14 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने स्थगन प्रार्थना–पत्रों का विरोध करते हुए, प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी का अपील में मुख्य आधार यह है कि सम्पूर्ण कार्यवाही आयकर विभाग की अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर की गई है तथा विभाग द्वारा स्वतंत्र जांच नहीं की गई है। विभाग ने आयकर विभाग द्वारा प्रेषित दस्तावेजों को लूज पेपर मानते हुए उन्हें विक्रय से संबंधित दस्तावेज मानते हुए उचन्ति बिक्री का प्रकरण मानकर करारोपण आदि किया है। दस्तावेजों में अंकित विवरण को उचन्ति बिक्री को प्रमाणित करने का दायित्व विभाग का था जबकि विभाग द्वारा इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपीलों में लिये गये उपरोक्त आधार परीक्षण योग्य होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में बनता है। विवादित बिन्दु के संबंध में वसूली की कार्यवाही से अधिक असुविधा अपीलार्थी को होगी जिससे सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में बनता है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण महत्वपूर्ण क्षति का २ण लगातार.....3	

मामला भी अपीलार्थी के पक्ष में माना जायेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन व महत्वपूर्ण क्षति का मामला अपीलार्थी के पक्ष में बनने के कारण उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में विवादित मांग राशियों की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्तो का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अतः अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2018 को अपास्त करते हुए अपीलीय अधिकारी को यह आदेश दिये जाते है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए यथोचित इस निर्णय की प्राप्ति के 3 माह के भीतर अपील का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

06/12/18

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर